दैनिक भास्कर

पानीपत 13-10-2021

वित्त विभाग के एसीएस, एमएसएमई और टीसीपी डीजी से जवाब तलब

फाइलों की सुस्त चाल पर एक्शन में राइट टू सर्विस कमीशन, 3 सीनियर आईएएस को नोटिस

मनोज कुमार | राजधानी हरियाणा

राइट टू सर्विस कमीशन ने एक मामले में वित्त विभाग के एसीएस व एमएसएमई के के डायरेक्टर जनरल और एक अन्य मामले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल से जवाब मांगा है। उनसे पूछा है कि जब आम जनता के हर काम का समय तय है तो फिर देरी क्यों लगाई जा रही है। साथ ही इन सीनियर अफसरों से यह भी पूछा गया है कि काम में देरी करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। अब इन अफसरों को 18 अक्टूबर को पेश होकर जवाब देने को कहा गया है। हालांकि कमीशन यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यदि कोई कर्मचारी बार-बार काम में देरी करता है और उसकी शिकायतें मिलती है तो उसे जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है या फिर वह बर्खास्त भी हो सकेगा। कमीशन चेयरमैन टीसी गुप्ता ने कहा निर्धारित समय में काम न होने पर अफसरों को नोटिस दिया गया है। हमारा प्रयास है कि हर काम समय पर हो।

समय पर नहीं किया गया भुगतान

फरीदाबाद की एक निजी कंपनी को 45 दिन के अंदर रकम मिलनी थी। मामले में पहले एमएसएमई के सीनियर एकाउंटेंट कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने बताया कि यह मामला इंडस्ट्री से संबंधित है और वित्त विभाग की वजह से देरी हो रही है। जिसपर कमीशन ने वित्त के एसीएस और एमएसएमई के डीजी को नोटिस जारी किया है।

60 दिनों में नहीं हुआ सीएलयू

हिसार में सौरभ सिंघल के सीएलयू के मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीजी को नोटिस जारी हुआ है। जिसमें कहा गया है कि जब पिछले साल दिसंबर में संबंधित ने दस्तावेज और फीस के 1,06,483 रुपए जमा करा दिए थे तो उसकी एप्लीकेशन पर कार्यवाही क्यों नहीं बढ़ी। जबकि 60 दिन में यह काम पूरा हो जाना चाहिए था।